बिहार सरकार

बिहार सरकार

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 – 63/2014-15

1. **परिचयात्मक –**

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, शिवहर।

(ख) अंकेक्षण का लेखावधि – वर्ष 1997–98 से 2012–13 (केवल राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित)

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल – उप महानिरीक्षक तिरहुत प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर

(ड़) अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी एवं कर्मचारी का नाम पदनाम एवं अवधि –

(i) श्री श्रीधर शर्मा, पुलिस अधीक्षक

1.4.97 से 23.5.97 तक

(ii) ,, शशिनाथ झा, पुलिस अधीक्षक

25.5.97 से 10.4.98 तक

(iii) ,, जे0 पी0 एन0 सिंह, पुलिस अधीक्षक

11.4.98 से 29.4.98 तक

(iv) ,, रामचन्द्र पुलिस अधीक्षक

30.4.99 से 8.11.99 तक

(v) डा0 कमल किशोर, पुलिस अधीक्षक

9.11.99 से 6.6.2000 तक

(vi) श्री अनुपम एस निलेकर, पुलिस अधीक्षक

7.6.2000 से 30.11.2000 तक

(vii) श्री गगनदेव राम, उप पुलिस अधीक्षक

1.12.2000 से 6.12.2000 तक

(viii) ,, रामानन्द प्रसाद, पुलिस अधीक्षक

7.12.2000 से 22.12.2003 तक

(ix) ,, श्याम कुमार, पुलिस अधीक्षक

23.12.2000 से 10.5.2005 तक

(x) ,, सत्यनारायण झा, पुलिस अधीक्षक

11.5.2005 से 26.9.2005 तक

(xi) ,, सत्येन्द्र प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक

27.9.2005 से 20.12.2005 तक

(xii) ,, कुन्दन कुमार सिंह, एस0 डी0 पी0 ओ0

21.12.2005 से 22.12.2005 तक

(xiii) ,, संजय सिंह, पुलिस अधीक्षक

23.12.2005 से 2.3.2006 तक

(xiv) ,, एम0 आर0 नायक, पुलिस अधीक्षक

3.3.2006 से 16.5.2006 तक

(xv) ,, के0 के0 वर्मा, पुलिस अधीक्षक

17.5.2006 से 18.4.07 तक

(xvi) ,, अजय कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक

19.04.2007 से 20.12.2008 तक

(xvii) ,, एम0 ए0 सिद्धकी, पुलिस अधीक्षक

21.12.2008 से 28.7.2009 तक

(xviii) ,, प्रहलाद कुमार, एस0 डी0 पी0 ओ0

29.7.2009 (सिर्फ एक दिन)

(xix) श्री शिवेश्वर प्रसाद शुक्ला, पुलिस अधीक्षक

30.7.2009 से 20.4.2010 तक

(xx) ,, विनोद कुमार, पुलिस अधीक्षक

21.4.2010 से 15.2.2011 तक

(xxi) ,, प्रकाश कुमार सिन्हा, पुलिस अधीक्षक

16.2.2011 से 26.9.2011 तक

(xxii) श्रीमति नितशा गुडिया, पुलिस अधीक्षक

27.9.2011 से 27.3.2012 तक

(xxiii) श्री नवीन चन्द्र झा, पुलिस अधीक्षक

28.3.2012 से 29.3.2013 तक

(xxiv) ,, हिमांशु शंकर त्रिवेदी, पुलिस अधीक्षक

30.3.13 से 31.3.13 तक

(i) श्री प्रहलाद कुमार, एस0डी0पी0ओ0, 17.5.10 से 14.7.10 तक

(ii) ,, आमीर जावेद, एम0डी0पी0ओ0

15.7.10 से 6.9.10 तक

(iii) श्री उमाकान्त बैठा, डिप्टी पुलिस अधीक्षक (हेडक्वार्टर)

7.9.10 से 29.3.13

(iv) ,, राम विनय प्रसाद साह – प्रधान सहायक सह लेखापाल

1.4.97 से 31.3.13

(च) अंकेक्षण में सहयोग देने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम –

(i) श्री सुनील कुमार, पुलिस अधीक्षक

(ii) श्री सुनील चौधरी, प्रधान लिपिक

(छ) अंकेक्षको के नाम – (i) श्री शशि शेखर सिन्हा, व0अं0–2

(ज) अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि – 30.07.14/15.3.14

(झ) अंकेक्षण समाप्ति तिथि – 10.11.14

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – 29 कार्य दिवस

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "क" पर अंकित है।

(2) <u>अंकेक्षण का क्षेत्र</u> –

(i) अंकेक्षण के प्रकार – सामान्य (केवल राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित)

(ii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग का आदेश संख्या एवं तिथि –

पत्रांक 3286 दि0 16.9.1960 एवं पत्रांक 03 वित्त अं0 पटना 21.1.14

(3) <u>कार्यालय का कार्यक्षेत्र</u> –

अपराध, आतंकवाद एवं उग्रवाद पर नियंत्रण रख जिला में विधि व्यवस्था बनाये रखना। मंत्री राज्य मंत्री, उप मंत्री, विधान सभा, विधान परिषद व सदन के नेता एवं सदस्यों संसद सदस्यों तथा गैर सरकारी व्यक्तियों को नियमानुसार सुरक्षा हेतु अंगरक्षक एवं बल सुविधा प्रदान करना।

(4) <u>वित्तीय स्त्रोत</u> –

वित्त (अंकेक्षण) विभाग 03 दिनांक–21.1.2014 के आलोक में वर्ष 1997–98 से वर्ष 2012–13 तक कार्यालय का समस्त वित्तीय स्त्रोत नहीं देखा जा सका केवल विभिन्न प्रतिष्ठानों एवं गैर सरकारी व्यक्यिों को सुरक्षा हेतु बल प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप राजस्व प्राप्ति को देखा गया। विवरणी परिशिष्ट "ख" पर देखा जा सकता है।

(5) **कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति –**

वर्ष 1997–98 से 2012–13 तक बलों के प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप प्राप्त राजस्व का जमा शीर्ष 0055 जिला कोषागार, शिवहर द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से शत् प्रतिशत् किया एवं सही पाया।

(6) **महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति –**

अनुपालन प्रेषित नहीं किया पाया गया।

(7) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति –

वित्त (अंकेक्षण) विभाग, पटना द्वारा पूर्व में कोई अंकेक्षण नहीं किया पाया गया था।

(3) <u>वित्तीय समीक्षा</u> –

वर्षवार विभिन्न राजस्व मदों (अंगरक्षक प्रतिनयुक्ति, बैंक/प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्ति, दखलदहानी हेतु प्रतिनियुक्ति एवं नीलामी से प्राप्त) में प्राप्त राजस्व की पूर्ण विवरणी परिशिष्ट "ख"

पर उल्लिखित है। विवरणी से यह स्पष्ट होगा कि (अनुपालन क्रम में दी गयी सूचना के आधार पर) अंकेक्षित अवधि (वर्ष 04–05 को छोड़कर) में अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति नहीं की गयी थी। बैंक/प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्ति से कुल रू0 6,20,147.00 दखलदहानी मद में कुल रू0 19,198.85 राजस्व प्राप्ति हुई थी एवं नीलामी मद में कोई राशि राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई थी। उपर्युक्त राजस्व प्राप्ति (परिशिष्ट "ख") के अतिरिक्त अगर प्रतिनियुक्ति हुई हो तो बकाया राजस्व प्राप्ति के लिए समुचित कारवाई कर इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दिये जाने के लिए प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(i) आवंटन की स्थिति में क्या आवंटन से अधिक निकासी की गयी है। – नहीं

(ii) अनुदान की स्थिति में – क्या अनुदान से अधिक राशि का व्यय किया गया है। – नहीं

(iii) प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को प्रेषित किया गया था।– नहीं

(4) रोकड़ पंजी में संवरण शेष नगद राशि का भौतिक सत्यापन की स्थिति –

अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि 15.3.2014 को रोकड़ पुस्त का संवरण शेष शून्य रहने के कारण भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका।

(5) रोकड़ पुस्त के संवरण की स्थिति –शून्य

(4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण –

क्र0 सं0	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	अधिक/कम
1.	पुलिस अधीक्षक – 1	1	
2.	डी0 एस0 पी0 – 2	2	
3.	सी0 आई0 पु0 लि0 – 7	7	
4.	परिचारी प्रवर – 1	X	
5.	सुबेदार – 4	1	3
6.	परिचारी – 4	1	3
7.	प्रा0वु0अ0नि0प्र0 (सी0 J)–6	1	5
8.	पुलिस अ0 नि0 – 58	35	23
9.	स0 अ0 नि0 – 47	45	2
10.	हवलदार – 79	38	41
11.	सिपाही – 409	231	178
12.	लिपिक – 7	4	3
13.	दफ्तरी – 1	1	–
14.	बाल आरक्षी – 4	3	1
15.	अनुबंध चालक – 5	3	2

16.	सैफ – 214	191	23

भाग – 2

कंडिका संख्या 5 – रू0 10695.00 की राशि कोषागार में जमा नहीं पाया जाना, वसूली योग्य–

अंगरक्षक प्रतिनियुक्त संचिका की जॉच क्रम में पाया गया कि दिनांक– 24.11.2004 को जिला सुरक्षा समिति के निर्णयानुसार श्री संजय कुमार वर्मा उर्फ डब्बु मुखिया कउम्भा शिवहर को भुगतान के आधार पर "31" एक्कतीस दिनों के लिए अंगरक्षक दिया गया था। श्री वर्मा के साथ आरक्षी रामनरेश दास को रिवाल्वर के साथ अंगरक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। श्री दास 19.12.2004 से 18.1.2005 तक श्री वर्मा के पास अंगरक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त रहें। आरक्षी उप महानिरीक्षक, तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर को भेजे पत्रांक 666 दि0 13.07.2005 में इस बात का जिक्र किया गया था कि श्री संजय कुमार वर्मा उर्फ डब्बु मुखिया कउम्भा शिवहर को एक महीने के लिए भुगतान के आधार पर अंगरक्षक की प्रतिनियुक्ति की गयी थी। राशि रू0 8656.00 कोषागार (शिवहर) में जमा कर दी गयी है। परन्तु अंकेक्षण में कोषागार में उक्त राशि जमा का कोई प्रमाण नहीं पाया गया। ज्ञातव्य हो कि गृह (आरक्षी) विभाग के पत्रांक 2321 दि0 6.03.03 के अनुसार आरक्षी प्रतिपूर्ति का दर समेकित रूप से रू0 345.00 (दैनिक दर रू0 255 + दैनिक भत्ता रू0 90. 00) निर्धारित है। उपर्युक्त प्रतिनियुक्ति अवधि 31 दिन (19.12.2004 से 18.1.2005) के लिए रू0 345. 00 की दर से रू0 कुल 10,695.00 वसूली योग्य होता है।

अतः राशि रू0 10695.00 पूर्व में जमा नहीं होने की वास्तविक की जॉच कर सम्बन्धित व्यक्ति से उक्त राशि वसूल कर कोषागार में जमा किया जाए, तथा इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी दी जाए।

भाग – 3

कंडिका (6)–बैंक द्वारा सुरक्षा गार्ड की मॉग करते वक्त राशि के अनुसार सुरक्षा गार्ड की मॉग करने का सुझाव –

राजस्व प्राप्ति जॉच क्रम में पाया गया कि शिवहर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया द्वारा सीतामढ़ी या मुजफ्फपुर शाखा से नगदी लाने हेतु सुरक्षा गार्ड की मॉग की जाती है। सुरक्षा गार्ड की मॉग करते वक्त मुद्रा इस्कोर्ट सम्बन्धित नियम की उपेक्षा करते पाया गया। पुलिस हस्तक नियम 587 (अ) में निर्दिष्ट प्रावधान के अनुसार रेमिटेंस की राशि पर शस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाना है। किन्तु इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है जो सुरक्षा की दृष्टीकोण से उचित नहीं है।

सुरक्षा गार्ड की मॉग करते वक्त बैंक शाखा के द्वारा सिर्फ 1–4 की बल की मॉग की जाती है और उसी अनुसार पैसे का भुगतान किया जाता है। सुरक्षा गार्ड की मॉग के साथ कितनी राशि लानी है उसका जिक्र अनिवार्य है क्योकि राशि के अनुसार ही सुरक्षा की दृष्टी से बल प्रतिनियुक्ति

करनी है। पुलिस हस्तक नियम 587 (अ) कोष नगद के मार्ग दल के लिए राशि बल की प्रतिनियुक्ति निम्नवत है –

(क) 2,000/– रूपयें तक – (1) एक सिपाही

(ख) 2,000/– से 10,000/– रूपये तक – (2) सिपाही

(ग) 10,000/– से 50,000/– रूपये तक – (3) तीन सिपाही

(घ) 50,000/– से उपर 2,00,000 रूपये तक – (1) एक सायुद्ध हवलदार एवं तीन सायुद्ध सिपाही

(ड़) 2,00,000/– से उपर 5,00,000/– रूपये तक –(1) एक सायुद्ध हवलदार
एवं (6) सायुद्ध सिपाही

(च) 5,00,000/– से उपर 10,000,00/– रूपये तक – (1) एक सायुद्ध अवर निरीक्षक
(2) दो सायुद्ध हवलदार एवं
(10) दस सायुद्ध सिपाही

(छ) 10,00,000 से उपर ———————— (1) एक सायुद्ध निरीक्षक,
(2) दो सायुद्ध हवलदार और
(10) दस सायुद्ध सिपाही
हर अतिरिक्त दो लाख के लिए
(2) दो सायुद्ध सिपाही के अनुपात में संख्या बढ़ाई जायगी किन्तु कुल बल (1) एक सायुद्ध निरीक्षक
(1) एक सायुद्ध अवर निरीक्षक
(4) चार सायुद्ध हवलदार और
50 पच्चास सिपाहियों से अधिक का नही होगा।

इस तरह सुरक्षा गार्ड की मॉग करते वक्त पैसे का जिक्र न कर, पुलिस हस्तक नियम 587 (अ) की अवहेलना की जाती रही। राशि के अनुसार बल की तैनाती न कर सरकार को राजस्व की भारी हानि के साथ सुरक्षा खतरे में रख कार्य किया जाता रहा। अतः भविष्य में बैंको द्वारा नगद के मार्ग दल में पुलिस बल की तैनाती राशि के अनुसार करने का सुझाव दिया जाता है।

कंडिका (7) – बल प्रतिनियुक्ति में पद व दर का जिक्र कर राशि निर्धारित करने का सुझाव–

राजस्व प्राप्ति जॉच क्रम में पाया गया कि बैंको द्वारा नगदी लाने हेतु या अन्य मामलों में यथा दखल देहानी वास्ते बलों की प्रतिनियुक्ति 1–4 या 1–6 कर सम्मिलित राशि की वसूली कर ली जाती है। यह 1–4 या 1–6 बल किस स्तर (पद) का होता इसकी जानकारी नहीं हो पाती। जबकि विभाग में पदो के अनुसार हीं दर तय है। तदनुसार ही राशि लेनी है। भविष्य में बलों की प्रतिनियुक्ति में पद व तदनुसार राशि अगर यात्रा–भत्ता की वसूली करनी हो तो पुलिस मुख्यालय से कितनी किलोमीटर की दुरी व दर का जिक्र करने का सुझाव दिया जाता है।

उप लेखा नियंत्रक

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

बिहार, पटना।

मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का हस्ताक्षर

1. मंजु कुमारी, व0अं0–2

परिशिष्ट – "क"

कंडिका –1 (ट) से सम्बन्धित विवरणी। अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची–

(1) प्रस्तुत अभिलेखों की सूची –

(i) रोकड़ पुस्त – वर्ष 1997–98 से 2012–13

(ii) आर० पी० (Receipt Check) – 1997–98 से 2012–13

(iii) रेमीटेन्स पंजी – 1997–98 से 2012–13

(iv) चालान

(v) सुरक्षा समिति निर्णय से संबंधित संचिका। – 1.1.2001 से 2012–13

(vi) पुलिस बल प्रतिनियुक्त से सम्बन्धित संचिका – 2003–04 से 2012–13

(2) अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची –

(i) यात्रा–भत्ता पंजी

(ii) सुरक्षा समिति निर्णय से सम्बन्धित संचिका – 1997–98 से 31.12.2000

(iii) पुलिस बल प्रतिनियुक्ति से संबंधित संचिका – 1997–98 से 2002–03

(iv) कमान पंजी – 1997–98 से 2012 –13

परिशिष्ट – "ख" कंडिका – 2 (4) एवं 3 से सम्बन्धित।

विभिन्न मदों से प्राप्त राजस्व योग्य वसूली एवं वसूली हेतु लम्बित राजस्व राशियों का विवरण वर्ष – वर्ष –1997–98 से वर्ष 2012–13 तक

(क) अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति

वर्ष	प्राप्त होने वाले आय	वसूली राशि	बकाया राजस्व राशि	अभ्युक्ति
97–98	–	–	–	
98–99	–	–	–	
99–2000	–	–	–	
2000–01	–	–	–	
2001–02	–	–	–	
2002–03	–	–	–	
2003–04	–	–	–	
2004–05	10,695.00	–	10,695.00	
2005–06	–	–	–	
2006–07	–	–	–	
2007–08	–	–	–	
2008–09	–	–	–	
2009–10	–	–	–	
2010–11	–	–	–	
2011–12	–	–	–	
2012–13	–	–	–	
कुल –	10,695.00	–	10695.00	

(ख) प्रतिनियुक्त सुरक्षा गार्ड

वर्ष	प्राप्त होने वाले आय	वसूली राशि	बकाया राजस्व राशि	अभ्युक्ति
1997–98	शून्य	शून्य	शून्य	
98–99	शून्य	शून्य	शून्य	
99–2000	शून्य	शून्य	शून्य	
2000–01	शून्य	शून्य	शून्य	
2001–02	शून्य	शून्य	शून्य	
2002–03	11,684.00	11,684.00	शून्य	
2003–04	शून्य	शून्य	शून्य	
2004–05	6445.00	6445.00	शून्य	
2005–06	39,270.00	39,270.00	शून्य	
2006–07	15,890.00	15,890.00	शून्य	
2007–08	शून्य	शून्य	शून्य	
2008–09	1,41,596.00	1,41,596.00	शून्य	
2009–10	3,36,270.00	3,36,270.00	शून्य	
2010–11	68,992.00	68,992.00	शून्य	
2011–12	शून्य	शून्य	शून्य	
2012–13	शून्य	शून्य	शून्य	
कुल –	**6,20,147.00**	**6,20,147.00**		

(ग) दखलदहानी हेतु प्रतिनियुक्ति।

वर्ष	प्राप्त होने वाले आय	वसूली राशि	वसूली योग्य राजस्व राशि	अभ्युक्ति
1997–98	शून्य	शून्य	शून्य	
98–99	770.95	770.95	शून्य	
99–2000	शून्य	शून्य	शून्य	
2000–01	751.90	751.90	शून्य	
2001–02	शून्य	शून्य	शून्य	
2002–03	508.00	508.00	शून्य	
2003–04	508.00	508.00	शून्य	
2004–05	शून्य	शून्य	शून्य	
2005–06	शून्य	शून्य	शून्य	
2006–07	शून्य	शून्य	शून्य	
2007–08	7,140.00	7,140.00	शून्य	

2008–09	7,140.00	7,140.00	शून्य	
2009–10	2380.00	2380.00	शून्य	
2010–11	शून्य	शून्य	शून्य	
2011–12	शून्य	शून्य	शून्य	
2012–13	शून्य	शून्य	शून्य	
कुल –	**19,198.85**	**19,198.85**		

(घ) नीलामी से प्राप्त आय

वर्ष	प्राप्त होने वाले आय	वसूली राशि	वसूली योग्य राजस्व राशि	अभ्युक्ति
1997–98	शून्य	शून्य	शून्य	
98–99	शून्य	शून्य	शून्य	
99–2000	शून्य	शून्य	शून्य	
2000–01	शून्य	शून्य	शून्य	
2001–02	शून्य	शून्य	शून्य	
2002–03	शून्य	शून्य	शून्य	
2003–04	शून्य	शून्य	शून्य	
2004–05	शून्य	शून्य	शून्य	
2005–06	शून्य	शून्य	शून्य	
2006–07	शून्य	शून्य	शून्य	
2007–08	शून्य	शून्य	शून्य	
2008–09	शून्य	शून्य	शून्य	
2009–10	शून्य	शून्य	शून्य	
2010–11	शून्य	शून्य	शून्य	
2011–12	शून्य	शून्य	शून्य	
2012–13	शून्य	शून्य	शून्य	
कुल –	–	–	–	